





## मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदनों का सीडीपीओ नहीं करती हैं निष्पादन



धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने मंगलवार को जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों की शिकायतें सुनीं। जनता दरबार में निरसा के रांगामाटी से आयी सेविका ने उपायुक्त को बताया कि वहां की सीडीपीओ द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदनों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। इस कारण लगभग 11 आवेदन लंबित हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जांच कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लंबित आवेदनों को राजगंज बाजार की एक महिला ने उपायुक्त को बताया कि वर्ष 2011 से वह अपना मकान बनाकर रह रही है। 5 वर्ष पूर्व उनके मकान के बगल में एक नया मकान बना है। उस नए मकान के सोखा का पानी उनके घर में घुस रहा है। इसके कारण उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। इसको लेकर पड़ोसी को कई बार शिकायत की, परंतु इसका निराकरण दूढ़ने के बजाय पड़ोसी उन्हें धमका रहा है।

## रणधीर वर्मा स्टेडियम में प्लाटूनों ने किया परेड का रिहर्सल



धनबाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्लाटूनों द्वारा परेड किया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को जिला सशस्त्र बल, झारखंड सशस्त्र बल - 3, एनसीसी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, होमगार्ड के प्लाटूनों द्वारा परेड का रिहर्सल किया गया। परेड का रिहर्सल 23 जनवरी तक किया जाएगा। वहीं 24 जनवरी को उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन पूर्वाभ्यास का निरीक्षण करेंगे।

## मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ स्वीकृत, 18 प्रस्तावों पर मुहर



हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद ने ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत राज्य के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विभिन्न थानों और अन्य पुलिस ऑफिस में नियुक्त अफसर, जो विभिन्न केस का अनुसंधान करते हैं, उनको मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे 500 स्कूलों की पहचान की गई है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि करीब 8 हजार ऐसे पुलिस अधीकारी हैं, जो विभिन्न केस के अनुसंधानकर्ता हैं। उन्हें मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये अधिकारी मोबाइल खरीदेंगे और उन्हें 25 हजार रुपए तक का रिबर्स किया जाएगा। संविदा पर नहीं रखे जाएंगे सलाहकार सह विशेष सचिव : दादेल ने बताया कि एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, अब संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव नहीं रखे जाएंगे। हालांकि, कृषि विभाग में कार्यरत वर्तमान विशेष सचिव प्रदीप कुमार हजारी अपनी सेवा विस्तार की अवधि तक काम करते रहेंगे। कैबिनेट ने उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त कर दिया। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियामवली 2025 के गठन को स्वीकृति। मेडिकल कॉलेज, सदर व अनुमंडलीय अस्पतालों व सीएचसी में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर व आईटी एंजीनियरिंग पद सुचित करने की स्वीकृति। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत। तमाड़ की तत्कालीन बीडीओ कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को निरस्त किया गया।

## जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक



रांची। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में दिनांक-22.01.2025 को पुनः आयोजित होने वाले "जन शिकायत समाधान कार्यक्रम" को लेकर पुलिस मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की गयी। पूर्व में दिनांक-10.09.2024 एवं 18.12.2024 को आयोजित "जन शिकायत समाधान कार्यक्रम" के संबंध में व्यापक रूप से समीक्षा करते हुए तथा दिनांक-22/01/2025 को पुनः आयोजित होने वाले "जन शिकायत समाधान कार्यक्रम" को लेकर पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये गये आम नागरिकों से प्राप्त शिकायत पत्र का निष्पादन त्वरित गति से करना सुनिश्चित किया जाय। अगर अनिष्ट शिकायत का समाधान करना संभव हो तो उसका समाधान उसी समय करना सुनिश्चित करें। शिकायतों पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जाय। शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र के आलोक में आवश्यकतानुसार प्राथमिकी अवश्य दर्ज की जाय।

## करीब 20 एकड़ अवैध अफीम की खेती को विनष्ट किया गया



\* सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में करीब 20 एकड़ अवैध अफीम की खेती को विनष्ट किया गया जिनकी विवरणी निम्न प्रकार है:-  
• चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में SSB मतकमंडीह की कंपनी एवं थाना प्रभारी चौका के साथ ग्राम रंका में करीब 3 एकड़ अवैध रूप से लगाये गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया।  
\* ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रभारी इचागढ़ के नेतृत्व में ग्राम बिरडीह में करीब 02 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को विनष्ट किया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निरंतर जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर खरसावां थानांतर्गत रायजामा में ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा कर जंगल क्षेत्र में लगे लगभग 5 एकड़ में एंव कुचाई थाना (दलभंगा ओपी0) थानांतर्गत ग्राम बिजार, बिजार टोला राजाबासा एवं चोपोडीह में ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा कर जंगल क्षेत्र में लगे लगभग 10 एकड़ में अवैध अफीम को विनष्ट किया गया है।

## ग्राम लठैया में महिला सशक्तिकरण और बालिका प्रशिक्षण शिविर का आयोजन



पलामू। महिला थाना प्रभारी, छतरपुर ने थाना के महिला आरक्षियों के साथ ग्राम लठैया में बालिका प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। यह कार्यक्रम विद्या विहार वाटिका विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं और छात्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया गया। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी ने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों, घरेलू हिंसा, और उनके निवारण के उपायों पर जानकारी दी। बच्चों को बाल विवाह से बचाने और उनके उज्वल भविष्य के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित किया गया। महिला थाना प्रभारी ने बच्चों और उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वह पुलिस की मदद लेने से न झिझकें। उन्होंने टोल-फ्री नंबर 112 की जानकारी दी और आशवासन दिया कि शिकायत मिलने पर त्वरित और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें हर प्रकार की समस्या का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित करना था।

## राज्य में पशुओं के लिए शेड निर्माण की गति धीमी: 24 जिले में 42939 पशु शेड बनाने का था लक्ष्य, 1 साल में 16394 ही बन सके

रांची। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत राज्य में पशु शेड बनाने की गति काफी धीमी है। राज्य के सभी 24 जिलों में नवंबर 2023 में शेड निर्माण की योजना शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-24 में सभी जिलों में 42,939 पशु शेड का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 32,990 योजनाएं ही स्वीकृति हुईं। 16 दिसंबर 2024 तक इनमें से मात्र 16,394 योजनाएं ही पूरी हो सकी हैं।

दरज काण्डों में यथाशीघ्र अग्रत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। क्षेत्र में होने वाले सम्पत्ति मूलक अपराध एवं अपराधियों की सूचनाएँ, साईबर अपराध तथा अवैध रूप से नागरिकों से ठगी करने वाली चिटफंड कम्पनियों की जानकारी प्राप्त कर अग्रत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ऐसे क्षेत्र जहाँ मानव तस्करी की घटना को लेकर अपराध होते हैं वहाँ पर विशेष रूप से अपराध की भुक्तभोगियों की सूचना प्राप्त की जाय एवं सल्लित अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अग्रत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अफीम की खेती तथा बाउन शुगर इत्यादि की खरीद-विक्री की जानकारी प्राप्त करते हुए इसकी रोकथाम के लिए नागरिकों को जागरूक करना सुनिश्चित करें। स्कूल/कॉलेज के बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने की जानकारी प्राप्त होने पर उसके रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय। शहरी क्षेत्र में बंद स्कूल, कॉलेज, सड़क आदि स्थानों में असमाजिक तत्वों का जमावड़ा प्रायः होता है, इस संबंध में कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक के माध्यम से उपस्थित रहें। कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

## अवैध अफीम खेती का भंडाफोड़: दो गिरफ्तार, उपकरण बरामद



गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मनातू थाना अंतर्गत ग्राम-जसपुर, टोला-गौरया, जिला-पलामू के जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए और उनके निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल: 1. थाना प्रभारी, मनातू 2. स०अ०नि० तुराम पुर्ती 3. स०अ०नि० सत्येन्द्र कुमार 4. वन विभाग मनातू प्रखेत्र के प्रभारी वनपाल अमरेश कुमार पासवान 5. वन विभाग के अधिकारी आशुतोष कुमार तिवारी दल ने सूचना के सत्यापन और कार्रवाई हेतु थाना से प्रस्थान किया। समय करीब 12:05 बजे ग्राम-जसपुर, टोला-गौरया के जंगल क्षेत्र के पिछरी नाला के तट पर पहुंचकर देखा कि पांच व्यक्ति अवैध अफीम खेती में कार्यरत हैं। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगे। सशस्त्र बल और वन विभाग के कर्मियों द्वारा पीछा करने पर दो व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।

## डायन कुप्रथा और सामाजिक अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता



पलामू। किशुनपुर ओपी अंतर्गत डायन कुप्रथा को समाप्त करने और समाज में व्याप्त अंधविश्वास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में किशुनपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जागरूकता अभियान किशुनपुर के मुख्य स्थानों, किशुनपुर मध्य विद्यालय और किशुनपुर हाईस्कूल में आयोजित किया गया। इसमें बच्चों और स्थानीय समुदाय को डायन कुप्रथा जैसी घातक प्रथाओं के सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को डायन प्रथा को खत्म करने के लिए बनाए गए सख्त कानूनों की जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि ऐसी प्रथाओं से जुड़ी घटनाओं को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कानून का सहारा कैसे लिया जा सकता है। इस अभियान का उद्देश्य समाज को जागरूक बनाना और ऐसे कुप्रथाओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की प्रेरणा देना था।

## उपायुक्त ने आम जनों की सुनी समस्या



साहिबगंज। साहिबगंज उपयुक्त अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार के माध्यम से उपायुक्त द्वारा आम जनों से हर समय जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साहेबगंज जिले के विभिन्न प्रखण्ड से आये आम जनों से सीधा संवाद कर समस्याओं को सुने और समझे। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया और आशवासन दिया गया जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाए।

## अफीम की खेती को ट्रैक्टर तथा ग्रास कटर मशीन चला कर विनष्ट किया गया



रांची। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुडू के नेतृत्व में तमाड़, बुडू, राहे, सोनाहातु, नामकुम, अनाड़ा एवं दशामफाल थाना प्रभारी के द्वारा 1. बुडू थाना अंतर्गत 16 एकड़ 2. तमाड़ थाना अंतर्गत 41 एकड़ 3. दशामफाल थाना अंतर्गत 2.5 एकड़ 4. अनागड़ा थाना अंतर्गत 03 एकड़ 5. राहे थाना अंतर्गत 1.5 एकड़ 6. सोनाहातु थाना अंतर्गत 1.5 एकड़ 7. नामकुम थाना अंतर्गत 02 एकड़ सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में जंगल झाड़ में लगभग 67.5 एकड़ लगे अफीम को ट्रैक्टर, ग्रास कटर मशीन एवं पुलिस बल के द्वारा विनष्ट किया गया।

## झारखंड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मंजूर: राज्यकर्मियों को सामान्य बीमारी में 5, गंभीर में 10 लाख का कैशलेस इलाज



रांची। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी। अब उन्हें सामान्य बीमारियों में सालाना पांच लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्यकर्मियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनर ऐच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 6000 रुपए एकमुश्त जमा करने होंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने कर्मचारियों को तीन कैटेगरी में बांटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। अभी राज्यकर्मियों को प्रति माह 1000 रुपए चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। अब इनमें से 500 रुपए प्रति माह कटौती की जाएगी। इस योजना के तहत करीब 1.75 लाख कर्मचारियों और करीब 2.25 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।

**बीमा के लिए कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा कैटेगरी-ए**  
राज्य के सभी कर्मचारी विधानसभा के वर्तमान सदस्य  
**कैटेगरी-बी (ऐच्छिक लाभ लेने वाले)**  
राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित विधानसभा के पूर्व सदस्य  
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर  
राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, संस्थान के कर्मचारी या पेंशनर  
राजकीय विद्यार्थियों व अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी और पेंशनर  
**कैटेगरी-सी**  
झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के निर्बंधित अधिवक्ता

पेंशनर ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे, देने होंगे सालाना 6000 रुपए दिव्यांग आश्रित को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। पति-पत्नी दोनों के राज्य सरकार के कर्मचारी होने पर दोनों को एक-दूसरे का आश्रित नहीं माना जाएगा। उनके बच्चे दोनों में से किसी एक पर ही आश्रित माने जाएंगे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को राज्यकर्मियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा योजना देने का संकल्प जारी किया था। लेकिन यह मामला अभी तक लटका हुआ था।  
**बीमा योजना के लिए राज्य आरोग्य सोसायटी ट्रस्ट में रखे जाएंगे 50 करोड़**  
इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए राज्य आरोग्य सोसायटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी। राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मि, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड-निगम और संस्थानों में काम करने वाले या सेवानिवृत्त कर्मि भी अपनी इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकते हैं।









